तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज वीरप्रभु मार्केटिंग लिमिटेड **बनाम** मेनेजिंग डायरेक्टर, राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 व अन्य प्रार्थना पत्र सं0 14/2018 अन्तर्गत धारा 17ए भारतीय टेलीग्राफ एक्ट,1885	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.03.2019	आज पत्रावली स्थगन प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु पेशी पर ली गई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री ओ.पी. कुमावत उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री सी.पी. सोनी उपस्थित। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–1) विभाग की अधिसूचना कमांकः प. 18 (9) गृह–1/2006 पार्ट–ii जयपुर, दिनांक 04.01.2011 की अनुसार इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये जाने वाले प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार महानगर क्षेत्र में संबंधित पुलिस आयुक्त, महानगर को शक्तियां प्रदत्त की जा चुकी है, चूंकि प्रस्तुत प्रकरण महानगर क्षेत्राधिकार होने से अब इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के स्थगन प्रार्थना पत्र को निर्णित करना उचित नहीं समझते है अतः मूल प्रार्थना पत्र मय स्थगन प्रार्थना पत्र को सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थीपक्ष को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल प्रार्थना पत्र मय स्थगन प्रार्थना पत्र लौटाया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	